न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — आशीष गुप्ता, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.143/प्रा.पत्र/2018 (GCMS No. 2018/00379)	30.05.2018	16.09.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

शान्ती बेवा रामनारायण, जाति दरोगा,
निवासी ग्राम जालेडा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अप्रार्थीयां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थिया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र रामनारायण आ. रणजीता कौम दरोगा, निवासी ग्राम जालेडा, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 222 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा एवं 225 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम जालेडा, आवंटन आदेश दिनांक 10.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थियां को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब की गई। अप्रार्थिया के फोत हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर उसके कायम मुकाम बनाये जाने हेतु वारिसान की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बून्दी की रिपोर्ट दिनांक 5.8.2020 के अनुसार अप्रार्थियां के पति की पूर्व में ही लाऔलाद मृत्यु हो जाने एवं अप्रार्थियां के कोई वारिस जीवित नहीं होने से दिनांक 15.09.2020 को अप्रार्थियां के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई का निर्णय लिया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 10.10.1977 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है एवं आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा नहीं करवाया गया है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी रामनारायण आ. रणजीता कौम दरोगा, निवासी ग्राम जालेडा, तहसील बून्दी को मिसल संख्या 401/1977 पर दिनांक 10.10.1977 को भूमि खसरा सं. 222 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा एवं 225 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम जालेडा का आवंटन किया जाना प्रकट है। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन हेतु (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत आवेदन किया गया। आरक्षित मूल्य पर जमा करवाने की शर्त पर उक्त नियमों के तहत आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने से अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में कमाण्ड क्षेत्र की भूमि पर चम्बल परियोजना क्षेत्र के नियमों के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियमान्तर्गत नहीं है, जो अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को मूल आवंटन पत्रावली लौटाकर निर्देश दिये जाते है कि आवंटित भूमि पर आवंटी के कब्जा काश्त के संबंध में मौका रिपोर्ट, आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य जमा होने या राशि बकाया होने बाबत स्पष्ट रिपोर्ट सहित प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत तैयार कर भिजवाये जाने पर ही प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी